राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनाक 23.01.2007 को प्रात 10.30 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नाकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो.परमात्मा सिहं	अध्यक्ष
2.	डा.सुरेश चौधरी विधायक	सदस्य
3.	.श्री जे.सी.बिश्नोई, (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य
4.	श्री पोकर सिहं राठोड (परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	सदस्य
5.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
6.	डॉ जी.पी.सिंह	सदस्य
7.	डा. आर.ए.सिघानिया	सदस्य
8.	डा ए.के.धामा	सदस्य
9.	डा.जब्बर सिंह सोंलकी	सदस्य
10.	डा.पी..एल. नेहरा	सदस्य
11.	डा.आर.के.पाल	सदस्य
12.	डा राम अवतार शर्मा	सदस्य
13.	श्री बलवन्त सिहं बिश्नोई	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,, कृषि उत्पादन, श्री रतनलाल डागा एवं, प्रोफेसर मधुसुदन शर्मा ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने नये वर्ष की शुभकामनाओं के साथ डॉ हनुमान प्रसाद एवं डॉ एस.जे.सिंह द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ जब्बर सिंह सोंलकी एवं डॉ आर.के.पाल के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर श्री जे.सी.बिश्नोई तथा डॉ पोकर सिंह राठौड़ निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया ।

कुलपति महोदय ने बैठक में सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने कृषि विज्ञान केन्द्र आबूसर झूझंनू को उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रथम अवार्ड प्रदान किया गया हैं इसके लिये सभी सदस्यों ने डॉ हनुमान प्रसाद, मुख्य वैज्ञानिक के कार्यो की सराहना की । साथ ही कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा में ऐग्रो फोरकॉस्ट सेन्टर द्वारा देश में किये गये कार्यों की भी सराहना की गई ।

राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1035	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.10.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत। **यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.10.2006 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाए :–** **राकृवि / बोमः–66 / 2006–4 / 1034** **डा0 सुरेश चौघरी, विधायक ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक / लेक्चरर व अनुदेशक को पदोन्नति देने हेतु पुनः विचार करने का आग्रह किया । विस्तृत विचार विमर्श कर यह पारित (Resolved) किया गया कि केवल अनुदेशकों को पदोन्नति लाभ हेतु प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाए ।**
राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1036	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 12.10.2006 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत। **यह पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1037	शक्षैणिक परिषद की मीटिंग दिनांक 17.01.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बावत् । **यह पारित (Resolved) किया गया कि शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनॉक 17.1.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाए ।**

राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1038	प्रबन्ध मण्डल के मद संख्या राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1023 दिनांक 12.10.06 के निर्णायानुसार प्रकरण पर पुनः विचार करने बावत् । **प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । सदस्यों का मत था कि स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर तत्कालिन अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिये वे पूर्णतः जिम्मेदार हैं और भविष्य में इस तरह का प्रकरण न हो इसका विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ध्यान रखा जाए । साथ ही यह पारित (Resolved) किया गया कि डा0 (श्रीमति) कुसुम कोठारी, सहायक आचार्य, गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा, कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर भरपुर को दिनांक 13.3.1999 से 4.4.2003 तक असाधारण अवकाश इस शर्त के साथ की विश्वविद्यालय आदेश कमांक एफ. / राकृवि / स्था / गुप 1 / 1196 दिनांक 19.8.2006 को यथावत जारी रखते हुए स्वीकृत किया जाए ।**
राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1039	प्रबन्ध मण्डल के मद संख्या राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1029 दिनांक 12.10.06 के निर्णायानुसार प्रकरण पर पुनः विचार करने बावत् । **यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय से सबद्वता (Affiliation) महाविद्यालयों से प्रतिवर्ष सबद्वता शुल्क राशि 50000 / – प्रतिवर्ष तुरन्त प्रभाव से ली जायेगी ।**
राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1040	प्रबन्ध मण्डल के मद संख्या राकृवि / बोम–66 / 2006–4 / 1030 दिनांक 12.10.06 के निर्णायानुसार प्रकरण पर पुनः विचार करने बावत् । **यह पारित (;Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल के निर्णय बैठक दिनांक 24.6.2006 में पारित प्रस्ताव संख्या राकृवि / बोम–65 / 2006–3 / 1012 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश कमांक प.(बोम–एजे)राकृवि / स्था / गुप 2 / 2006 / 2292 दिनांक 27.9.2006 का अनुमोदन किया जाता हैं ।**

राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1041	विश्वविद्यालय पत्रांकः प.6 / राकृवि / अयी.शा. / 06 / 011 दिनांक 23 / 12 / 06 बावत पुराने रिकार्ड की वीडिंग एवं नष्ट करने हेतु नियमावली एवं आदेश कमांकः प. / राकृवि / स्था. / ग्रुप–2 / 2006 / 2237 दिनांक 19.9.06 का अनुमोदन हेतु। **यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय पत्रांकः प.6 / राकृवि / अयी.शा. / 06 / 011 दिनांक 23 / 12 / 06 बावत पुराने रिकार्ड की वीडिंग एवं नष्ट करने हेतु नियमावली एवं आदेश कमांकः प. / राकृवि / स्था. / ग्रुप–2 / 2006 / 2237 दिनांक 19.9.06 का अनुमोदन किया जाता हैं।**
राकृवि / बोम–67 2007–1 / 1042	राज्य सरकार के निम्न नये रूल्स / नोटिफिकेश / ऑर्डर / पत्रांदि को अपनाने (Adopt) के संबंध में :– 1- No.F.12(6)FD/Rules/2005/ dated: 20.4.06— Appointment on Fixed remuneration. 2- No. F. 12(6)FD (Rules)/05 dated 13.3.2006- Rajasthan Civil Services(Revised Pay Scale) Rules,1998-Fixed remuneration to probationer trainees. 3- No. F.1(2) FD (Rules)/2006 Dated 13-3-2006 detailed clarification. 4- No. F13(1)FD / Rules/ 2003 Dated 13.3.2006- Contributory pension rules,2005 5- No.F.6 (6) FD /Rules /2005 dated13-3-2006 - Medi-claim insurance coverage for the probationer-trainee during the period of probation, 6- कमांक.प.4(72)वित्त / राजस्व / 94–पार्ट दिनांक 13.3.06– समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना